

1198

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

दिनांक:- 17/09/09

विषय:- पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत राज्य के कार्य विभागों के अधीन अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में लागू किये जाने के संबंध में।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एक कार्य विभाग है। इस विभाग का अधिकतर कार्य ठीकेदारों के माध्यम से कराया जाता है। अधिसूचना संख्या-6/नि0-10162/07-552 दिनांक-28.05.2009 द्वारा पथ निर्माण विभाग में लागू ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में भी लागू किया गया है।

2. पथ निर्माण विभाग का पत्रांक-प्र06/नियम-03-04/2002-2014 (ई0) डब्लू0सी0 दिनांक-11.06.2009 इसके साथ संलग्न ज्ञापक-1399 (एस0) दिनांक-31.01.08 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा राज्य के कार्य विभागों के अधीन अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी अनुदेश निर्गत किया गया है को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में भी लागू किया जाता है और अधिसूचना संख्या-552, दिनांक-28.05.2009 द्वारा निर्गत ठीकेदारी निबंधन नियमावली में यह संशोधन सुमझा जाय। पथ निर्माण के संकल्प के कडिका-11 के आलोक में परिशिष्ट - "क" एवं "ख" संलग्न है।

3. यह आदेश पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

अनु0-यथोपरि।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के आगामी अंक में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(एच0सी0 सिराही)

प्रधान सचिव


लोक स्वा0 अभि0 विभाग

ज्ञापक-6/नि0-10162/07-1426

पटना, दिनांक-17/9/09

प्रतिलिपि:- अधीक्षक मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राज्य पत्र के आगामी अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि उसकी एक सौ गजट प्रतियाँ, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के उपयोग हेतु उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(एच0सी0 सिरौही)

प्रधान सचिव

लोक स्वास्थ्य अभि० विभाग

ज्ञापक-6/नि0-10162/07-1426

पटना, दिनांक-17/9/09

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(एच0सी0 सिरौही)

प्रधान सचिव

लोक स्वा० अभि० विभाग

ज्ञापक 6/नि010162/07-1426

पटना, दिनांक-17/9/09

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित, विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (नागरिक)/मुख्य अभियंता (रूपांकण)/मुख्य अभियंता (यांत्रिक)/संयुक्त सचिव (प्र०को०)/उप सचिव/अवर सचिव /सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल/प्रबंधक निदेशक/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(एच0सी0 सिरौही)

प्रधान सचिव

लोक स्वा० अभि० विभाग